प्रा.पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि.1956 पर प्रस्तुत की गई पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दि. 20/12/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

20/12/23

C/N – 226/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि.,1956 का स्वीकार किया जाता है एवं निर्णय पृथक से पत्रावली में शा.मि. किया गया। पत्रावली जेर रूल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 226/2022

1. करण सिंह पुत्र श्री सायर सिंह
2. कुसुम कंवर पत्नि श्री गोपाल सिंह
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह
4. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह
5. भंवर कंवर पुत्री श्री सायर सिंह
6. लाड कंवर पुत्री श्री सायर सिंह
7. शक्ति सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह
8. सुप्यार कंवर पत्नि भंवर सिंह

सर्व जाति राजपूत सर्व निवासी ग्राम चून्दड़ी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी भेरव नगर मझेला रोड़ मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. फुतर पत्नि पांचू जाति बैरवा निवासी ग्राम चूदन्डी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
3. गनुदेवी पत्नि गोपाल
4. नाबालिग खुशबु पुत्री गोपाल जरिये सरंक्षक माता गनु देवी
5. नाबालिग बबलु पुत्र गोपाल जरिये सरंक्षक माता गनु देवी
6. नाबालिग राहुल पुत्र गोपाल जरिये सरंक्षक माता गनु देवी
7. रतना पुत्र घीसा
8. रामलाल पुत्र घीसा
9. लादू पुत्र घीसा

सर्व जाति भांभी सर्व निवासी ग्राम चूदन्डी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

10. धूकल पुत्र हरकरण
11. सुगना पुत्र हरकरण

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम चूदन्डी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

12. धूला पुत्र हरकरण
13. सुखा पुत्र हरकरण

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम बांगड़ा की ढाणी, चीताखेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

14. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांकः 20/12/23

उपस्थितः डॉ. रामदेव गुर्जर — प्रार्थीगण अभिभाषक
श्री लवकुमार सिंह — अप्रार्थी सं0 1 अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री डॉ. रामदेव गुर्जर के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी ख0नं0 537/18 रकबा 0.9951 हैक्टेयर भूमि ग्राम चूदन्डी पटवार हल्का बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के उत्तर दिशा में ख0नं0 322/18, दक्षिण दिशा में ख0नं0 323/18 व ख0नं0 536/18, पूर्व दिशा में ख0नं0 21 गै0मु0 नाला एवं पश्चिम दिशा में ख0नं0 536/18 का शेष भाग स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है, जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित ख0नं0 537/18 का सीमाज्ञान पटवारी हल्का से दिनांक 09.11.2022 को कराया गया है। प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा मौके पर बार–बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 09.12.2022 को उत्पन्न हुआ की प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का दिनांक 09.11.2022 को द्वारा किया गया परन्तु अप्रार्थीगण अवैधानिक रूप से आराजी में नींव, सींव, मेड़ को लेकर विवाद करने से एवं प्रार्थीगण की आराजी में मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं नींव, सींव से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अधिवक्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में पारित निर्णय के पश्चात् कमिश्नर नियुक्ति की विधिक शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा ग्राम चूदन्डी पटवार हल्का बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 537/18 रकबा 0.9951 हैक्टेयर भूमि की नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस/जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के आदेश करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

1 की ओर से वकील श्री लवकुमार सिंह द्वारा एवं अप्रार्थी सं0 2 की ओर से वकील श्री रविकान्त शर्मा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 3 लगायत लगायत 13 के बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 14 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर जबाव का अवसर बन्द किया गया।

3.1 अप्रार्थी सं0 2 की ओर से वकील श्री रविकान्त शर्मा द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों के आधार पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादग्रस्त ख0नं0 537/18 की किस दिशा के नाप बाबत् विवाद दिनांक 09.11.2022 को हुआ है। वादग्रस्त ख0नं0 537/18 की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.11.2022 को तैयार की है जिस समय कृषि भूमि पर रबी की फसल काश्त की हुई रहती है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि तथा अन्य पड़ौसी काश्तकार की भूमि का सीमाज्ञान किया जाना संभव नहीं है। अप्रार्थी सं0 2 ने इस कारण से मौका रिपोर्ट पर अंगूठा/हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया है। पश्चिम दिशा गत अंकित है। नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त ख0नं0 537/18 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर अंकित नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी की ख0नं0 537/18 की भूमि की किस दिशा की मेडबन्दी को किस पड़ोसी काश्तकार द्वारा हटाया गया उस बाबत् कोई कथन अंकित नहीं किया है। प्रार्थीगण के पड़ौसी काश्तकार द्वारा सीमा के संबंध में कोई विवाद नहीं किया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने खसरा नम्बर की भूमि पर काबिज काश्त है। अतः जवाबकर्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

3.2 अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 के खेत की चतुर्थ सीमाओं से प्रार्थीगण का किसी प्रकार से सरोकार नहीं है एवं न ही प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 के खेत से लगती किसी भूमि को काश्त करते है। इस प्रकार प्रार्थीगण से अप्रार्थी सं0 1 का वर्तमान में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा पूर्व में प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 को उसकी जोत से बेदखल करने पर आमादा रहे थे एवं अप्रार्थी सं0 1 की जोत पर कब्जे की नियत से ही मिथ्या एवं त्रुटिपूर्ण तरमीम के आधार पर पत्थरगढ़ी करवाने पर आमादा है जो कि विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण का कब्जा आदिनांक तक मौके पर कहीं नहीं है इसलिये रिपोर्ट मिथ्या एवं तथ्यहीन है। वास्तविकता में प्रार्थना पत्र में बताये गये मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके मिथ्या तरमीम की गई है जिसकी आड़ में प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवाकर अविधिक रूप से

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमियों पर कब्जा करना चाहते है एवं सभी पक्षकारों को परेशान करना चाहते है साथ ही मिथ्या एवं त्रुटिपूर्ण तरमीम के आधार पर बने नक्शे से सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करने से आगे से आगे इस क्षेत्र के सभी कृषक खातेदारों में विवाद होने की प्रबल सम्भावना है। इसलिये ऐसी परिस्थिति में पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करने तथा मौके पर वक्त आवंटन से चले आ रहे कब्जे काश्त के आधार पर त्रुटिपूर्ण तरमीम को शुद्ध करवाने के आदेश न्यायहित में जारी करने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है, जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम चूदन्डी पटवार हल्का बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान स्थित अपनी सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 537/18 रकबा 0.9951 हैक्टेयर भूमि की नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करने का निवेदन किया।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 के खेत की चतुर्थ सीमाओं से प्रार्थीगण का किसी प्रकार से सरोकार नहीं है एवं न ही प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 के खेत से लगती किसी भूमि को काश्त करते है। इस प्रकार प्रार्थीगण से अप्रार्थी सं0 1 का वर्तमान में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा पूर्व में प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 को उसकी जोत से बेदखल करने पर आमादा रहे थे एवं अप्रार्थी सं0 1 की जोत पर कब्जे की नियत से ही मिथ्या एवं त्रुटिपूर्ण तरमीम के आधार पर पत्थरगढ़ी करवाने पर आमादा है जो कि विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण का कब्जा आदिनांक तक मौके पर कहीं नहीं है इसलिये रिपोर्ट मिथ्या एवं तथ्यहीन है। इसलिये ऐसी परिस्थिति में पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

करने तथा मौके पर वक्त आवंटन से चले आ रहे कब्जे काश्त के आधार पर त्रुटिपूर्ण तरमीम को शुद्ध करवाने के आदेश न्यायहित में जारी करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। ग्राम चूदन्डी पटवार हल्का बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान स्थित कृषि भूमि ख0नं0 537/18 रकबा 0.9951 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में ख0नं0 537/18 रकबा 0.9951 हैक्टेयर भूमि का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम चूदन्डी पटवार हल्का बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 537/18 रकबा 0.9951 हैक्टेयर भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकार कि उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20/12/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)